

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/16/1680

जयपुर, दिनांक : 31/01/17

आदेश

राज्य की अधिकांश नगरीय निकायो में लाईसेन्स फीस में गत कई वर्षों से कोई बढोतरी नहीं की गई है तथा लाईसेन्स फीस बढोतरी के लिये कोई प्रयास भी नहीं किये गये हैं और ना ही लाईसेन्स फीस वसूली में कोई प्रगति हुई है। नगरीय निकायो में कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिन से संबंधित उपविधियां विरचित/लागू नहीं हैं, किन्तु नगरीय निकायो में स्थित ऐसी गतिविधि जिनके लाईसेन्स लेना जनहित में आवश्यक है की लाईसेन्स फीस भी नियत किया जाना आवश्यक हो गया है तथा लाईसेन्स फीस वसूली हेतु प्रावधान भी किये जाने आवश्यक है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 105, 325 तथा 337 की उपधारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा नगर निगम/परिषद/पालिकाओं की उपविधियों में लाईसेन्स फीस संबंधी प्रावधान में संशोधन करते हुये वार्षिक लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित करती है:-

| क्र. सं.              | वर्गीकरण  | नगर निगम | नगर परिषद | नगर पालिका |
|-----------------------|---|----------|-----------|------------|
| 1.                    | फाईव स्टार (डीलक्स) होटल                                      | 1,00,000 | 50,000    | 25,000     |
| 2.                    | फाईव स्टार होटल   | 75,000   | 40,000    | 20,000     |
| 3.                    | चार स्टार होटल  | 25,000   | 15,000    | 8,000      |
| 4.                    | दो एवं तीन स्टार होटल   | 15,000   | 7,500     | 5,000      |
| <b>नोन स्टार होटल</b> |   |          |           |            |
| 5.                    | होटल्स 10 कमरे तक   | 5,000    | 2,500     | 1,000      |
| 6.                    | होटल 20 कमरे तक   | 10,000   | 5,000     | 2,500      |
| 7.                    | होटल 20 से अधिक कमरो का                                       | 15,000   | 7,500     | 3,500      |
| 8.                    | रेस्टोरेन्ट (A.C.) 50 चैयर तक                                 | 5,000    | 2,500     | 1,500      |
| 9.                    | रेस्टोरेन्ट (A.C.) 50 चैयर से अधिक                            | 10,000   | 5,000     | 2,500      |
| 10.                   | रेस्टोरेन्ट (Non-A.C.)  | 2500     | 1,250     | 750        |
| 11.                   | कैफे, केन्टिन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्शनरी (Sweetmeat) | 1,000    | 600       | 400        |
| 12.                   | नमकीन के कारखाने एवं  | 3,000    | 1,500     | 750        |

|     | मिठाई के कारखाने                              |       |       |     |
|-----|---|-------|-------|-----|
| 13. | चाट-पकोडी फास्ट फूड, डोसा भोजन के मोबाईल वाहन | 2,000 | 1000  | 500 |
| 14. | गैस युक्त शीतल पैय                            | 250   | 150   | 100 |
| 15. | आईस क्रीम/आईस फेक्ट्री                        | 3,000 | 1,500 | 750 |
| 16. | मिनरल वॉटर फेक्ट्री                           | 3,000 | 1,500 | 750 |
| 17. | ब्यूटी पार्लर                                 | 1,000 | 500   | 250 |
| 18. | जिम   | 2,000 | 1000  | 500 |
| 19. | स्वीमिंग पूल                                  | 1,000 | 500   | 250 |

नोट:-

1. आवासीय भवनो में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के लिये कोई नया लाईसेन्स नहीं दिया जावेगा, परन्तु जिन भवनो में पूर्व से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने से लाईसेन्स दिये हुये है, उनका ही केवल नवीनीकरण किया जा सकेगा।
2. लाईसेन्स समाप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लाईसेन्स का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। विलम्ब की स्थिति में लाईसेन्स फीस की राशि का प्रति माह 5 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में वसूल की जायेगी।
3. जिन नगरीय निकायो में पूर्व से ही उपरोक्त उल्लेखित राशि से अधिक राशि लाईसेन्स फीस के रूप में उपविधियो में प्रावधित है तो उस निकाय की उपविधि में प्रावधित लाईसेन्स फीस ही ली जावेगी।
4. इस विभाग के आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/14/10838 दिनांक 14.09.2015 के अन्तर्गत जिन प्रकरणो में पूर्व में 10 वर्ष की अवधि के लिये होटल लाईसेन्स का नवीनीकरण किया जा चुका है उन मामलो में उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे।
5. जिन नगरीय निकायो में स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) कार्यरत है उन निकायो में स्वास्थ्य अधिकारी लाईसेन्स जारी करने/नवीनीकरण करने का कार्य करेगे। जिन नगरीय निकायो में स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) कार्यरत नहीं है उन निकायो में आयुक्त/जोन उपायुक्त/अधिकाारी अधिकारी लाईसेन्स जारी करने/नवीनीकरण करने का कार्य करेगे।
6. लाईसेन्सी द्वारा उपविधियो की पालना नहीं करने या लाईसेन्स फीस या नवीनीकरण लाईसेन्स फीस जमा नहीं कराने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि को विनिर्दिष्ट कालावाधि के लिये बंद कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/16/1681-2114  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

जयपुर, दिनांक : 31/11/17

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

03. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज०
05. आयुक्त/उपायुक्त/अधिकाारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
06. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज० जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
07. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
08. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
09. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी